वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

स०. 5-1(234)/2014-पीडी

दिनांक: 03.07.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 01.01.2017 से प्रभावी, सीएसएस/सीएसएसएस के अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों (SOs/PSs) के समान सीएसआईआर के अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों (SO/PS) को गैर-कार्यात्मक वेतनमान (NFS) प्रदान किए जाने की व्यवस्था का समापन।

1. सीएसआईआर ने पत्र संख्या 3-33(113)/2004-E.I दिनांक 12.05.2006 के माध्यम से, डीओपीटी के आदेश संख्या 21/36/03-CS.I दिनांक 13.11.2003, जिसमें 03.10.2003 से सीएसएस के अनुभाग अधिकारियों को ₹8000-13500/- का गैर-कार्यात्मक वेतनमान (NFS) प्रदान किए जाने का प्रावधान था, का अनुमोदन करते हुए उक्त लाभ को 03.10.2003 से सीएसआईआर के अनुभाग अधिकारियों (SOs) तक विस्तारित किया। तत्पश्चात, यह लाभ सीएसआईआर के निजी सचिवों (PSs) को भी प्रदान किया गया।
2. दिनांक 12.05.2006 के उपर्युक्त सीएसआईआर पत्र के पैरा 1 में किए गए प्रावधान के अनुसार, ₹8000-275-13500/- का गैर-कार्यात्मक वेतनमान (NFS) सभी नियमित अनुभाग अधिकारियों (G/F&A/S&P) को, सतर्कता अनापत्ति (Vigilance Clearance) के अधीन, उस ग्रेड में चार वर्ष की अनुमोदित सेवा पूर्ण करने पर देय था।
3. तत्पश्चात, सचिवों की समिति (CoS) की सिफारिशों तथा व्यय विभाग (DoE) द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में इस विषय की समीक्षा की गई। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने, सीएसआईआर के एकीकृत वित्त प्रभाग (IFD) से परामर्श के उपरांत, 01.01.2017 से सीएसआईआर के अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों (SOs/PSs) को गैर-कार्यात्मक वेतनमान (NFS) प्रदान किए जाने की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
4. तदनुसार, जिन सभी कार्यरत कर्मचारियों को NFS का लाभ प्रदान किया गया था, उनके वेतन का पुनर्निर्धारण उक्त लाभ प्रदान किए जाने की तिथि से प्रभावी रूप से किया जाएगा।
5. देय एवं आहरित (Due-and-Drawn) विवरण तैयार किया जाएगा तथा यदि कोई अधिक भुगतान हुआ हो, तो उसका आकलन किया जाएगा। तथापि, इस प्रकार के पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप हुए अधिक भुगतान के कारण किसी भी कर्मचारी से कोई वसूली नहीं की जाएगी।
6. उपर्युक्त पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप यदि वेतन में कोई कमी आती है, तो उसे एफआर 9(23) के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत वेतन (Personal Pay) के रूप में संरक्षित किया जाएगा।
7. पुनर्निर्धारित वेतन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले अनुषंगी लाभ, जिनमें जहाँ लागू हो, एसीपी/एमएसीपी (ACP/MACP) के लाभ भी शामिल हैं, प्रचलित निदेशों के अनुसार विनियमित एवं प्रदान किए जाएंगे।
8. इस कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन में उन कर्मचारियों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, संबंधित कर्मचारियों के वेतन का पुनर्निर्धारण 27.11.2025 की स्थिति के अनुसार किया जाए तथा तदनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।

(छेरिंग तोबदन)
वरि. उप सचिव (नीति प्रभाग)

सेवा में:

1. सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान- सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

प्रतिलिपि:

1. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/ एककों के वरिष्ठ उप सचिव/वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/ उप सचिव / प्रशासन नियंत्रक / अवर सचिव / प्रशासनिक अधिकारी
2. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों और मुख्यालय के वरिष्ठ उप वित्तीय सलाहकार / वरिष्ठ वित्तीय और लेखा नियंत्रक / उप वित्तीयसलाहकार / वित्तीय और लेखा नियंत्रक / वित्त और लेखा अधिकारी

(1 और 2:) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

3. सी.एस.आई.आर. वेबसाइट
4. कार्यालय प्रति